न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

मिसल नम्बर – 2003/00029

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. जगन्नाथ वल्द मोतीलाल

जाति– कलाल साकिन कुन्हाडी कोटा

जर्ये मुकामात–1. मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ 2. रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ 3. रामप्यारी पुत्री जगन्नाथ 4. पुष्पा पुत्री जगन्नाथ 5. मंजु पुत्री जगन्नाथ 6. संतरा पुत्री जगन्नाथ 7. गोपाली बाई बेवा जगन्नाथ

निर्णय दिनांक:- 30/03/2026

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार ग्राम कुन्हाड़ी की खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा सिवायचक आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 178 रकबा 0.49 है0 बनाये गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के खाते 0.33 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 178 रकबा 0.49 है0 में से 0.33 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्हाड़ी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी 2058 से 2061 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जमांबदी संवत् 2070 से 2073 अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 178 रकबा 0.49 है0 भूमि नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) दर्ज रिकॉर्ड है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रंबध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा